1.विधि का शासन

विधि के शासन का अर्थ तथा उसका विकास

.....1.समाज के लोगों ने अपने इन्हेरेंट राइट्स के लिए जो सालों से संघर्ष किया है उसका उत्पाद है विधि का शासन..... rule of law का यह कांसेप्ट बहुत ही पुराना है तकरीबन 300 बीसी बहुत से दार्शनिकों ने अपने समय में विधि के शासन के अवधारणा की बात कही उनमें से मुख्यता दार्शनिक थे प्लेटो तथा एरिस्टोटल।

2. विधि के शासन का सामान्य रूप से या अर्थ होता है कि कानून सर्वोपरि है तथा व सभी लोगों पर समान रूप से लागू होता है।।

3.विधि का शासन French phrase से लिया गया है जिसका मतलब है ,The principles of legalite..इसके अनुसार सरकार कानून के सिद्धात पर आधारित है ना कि किसी व्यक्ति विशेष पर अर्थात कानून सबसे ऊपर है कानून से ऊपर कोई नहीं।

ALBERT VENN DICEY

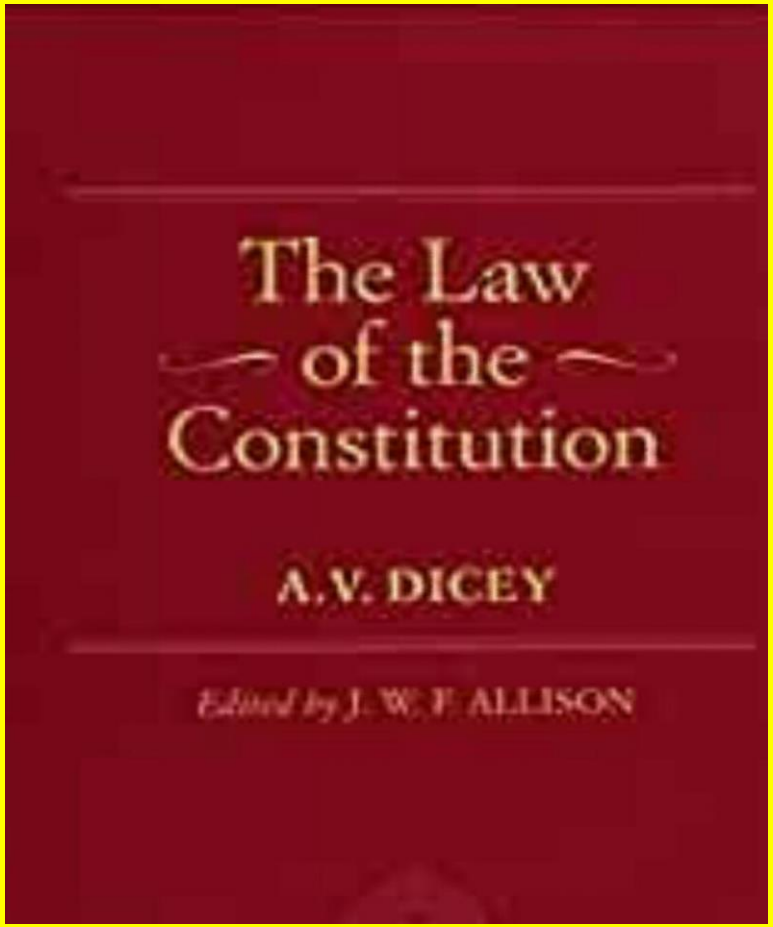

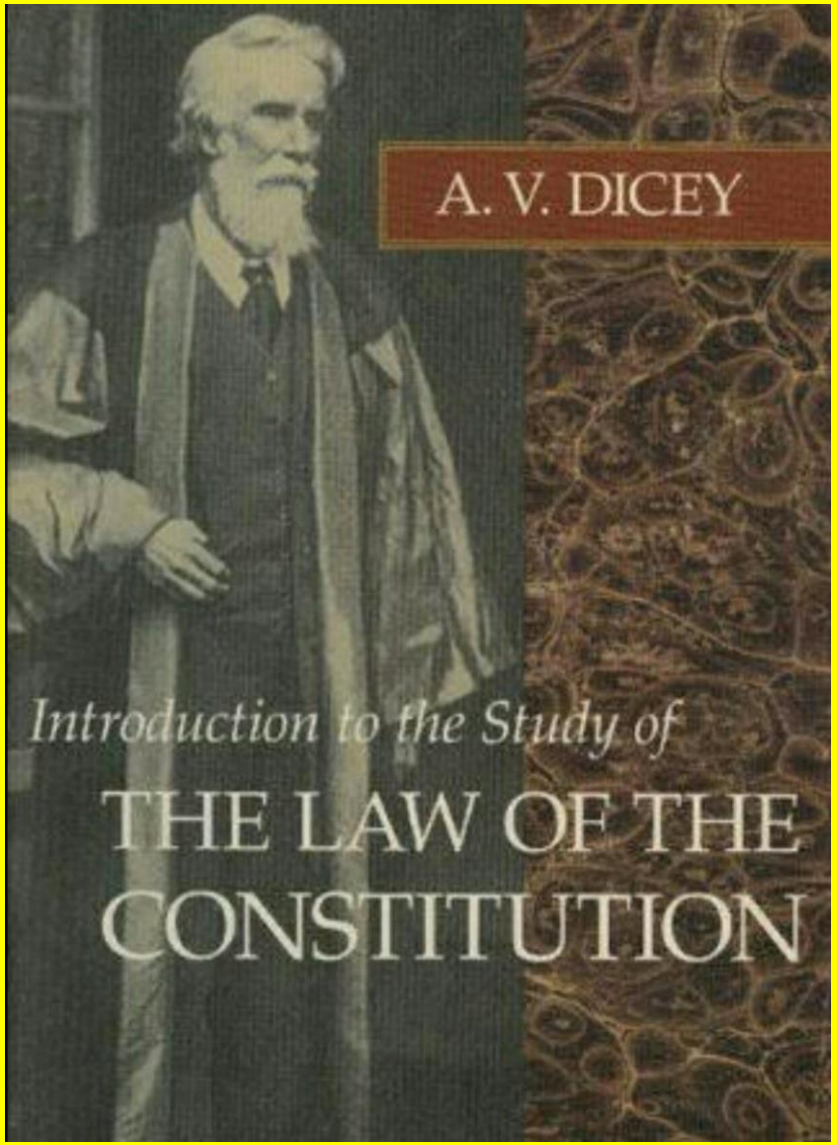

.:डायसी के विधि के शासन के तीन प्रमुख सिध्दांत :

- 1.No man is Above the law: कानून ही सर्वोच्च है इसके अनुसार कानून के ऊपर कोई संस्था वह कोई व्यक्ति विशेष नहीं।
- 2.No man is punishable except for a distinct breah of law: इसके अनुसार जब तक कोई कानून का उल्लंघन नहीं करेगा उसको दंडित नहीं किया जाएगा अर्थात जब कानून का उल्लंघन होगा तभी किसी व्यक्ति को दंडित किया जाएगा।
- 3.The constitution is the result of the land: डायसी के

RULE OF LAW IN INDIA :-

- rule of law को अनुच्छेद 14 के तहत भारत के संविधान में लिया गया है डायसी के पहले व दूसरे कांसेप्ट को ही केवल मान्यता प्राप्त कि किया गया है डायसी के तीसरे अवधारणा को भारत के संविधान में मान्यता प्राप्त नहीं है क्योंकि तीसरे अवधारणा में डायसी ने न्यायिक फैसले को संविधान से भी अधिक महत्व दिया है जबकि भारत में संविधान द्वारा ही सारे कानूनों का निर्माण किया गया है इसीलिए डायसी के तीसरे और धारणा को भारत द्वारा नकारा गया है.....

..अनुच्छेद 14 विधि का शासन

अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार भारत द्वारा अमेरिका के संविधान से अवधारणा ली गई है अनुच्छेद 14 के अंतर्गत कानून के शासन की दो अवधारणाएं की व्याख्या की गई है:

पहला कानून के समक्ष समानता जो कि एक नकारात्मक अवधारणा है इसके अनुसार भारत के क्षेत्र के भीतर सभी व्यक्तियों को समानता की घोषणा करता है अर्थात किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा सभी को सामान्य रूप से सम्मान त प्रदान की जाएगी,, इसके कुछ अपवाद भी सामने आए है जैसे कि अनुच्छेद 361(1) के अनुसार राष्ट्रपति व राज्यपाल देश के साधारण न्यायालय द्वारा दंडित नहीं किए जाएंगे

दूसरा कानून का समान संरक्षण यह एक सकारात्मक अवधारणा है इस अवधारणा के अंतर्गत अनुच्छेद 14 में असामान्य लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि या अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है समाज सुरक्षा व अवसरों को प्रदान करते हैं असमान व्यक्ति के प्रति सकारात्मक रवाई करनी चाहिए तथा समान व्यवहार करना चाहिए इस अवधारणा के जरिए असमान लोगों के लिए संरक्षण की बात कही गई है ताकि उनके साथ बराबरी का व्यवहार किया जा सके

basic principles of rule of law

- 1. कानून सर्वप्रिया है।
- 2. कोई भी चीज कानून के अनुसार होनी चाहिए नाक की इच्छा के।
- 3. जब तक कोई व्यक्ति कानून नहीं तोड़ेगा तब तक उसे दंडित नहीं किया जाएगा।
- 4. कानून के समक्ष समानता व कानून का समान संरक्षण।
- 5. न्यायपालिका निष्पक्ष व स्वतंत्र होनी चाहिए ।
- 6. न्यायालय द्वारा न्याय संगत प्रक्रिया होनी चाहिए

भारत में विधि के शासन की कुछ विशेषताएं

- 1. विधि सर्वोच्च होती है:(क) .: शासन की शक्ति कानून द्वारा तय होती है,(ख) :: विधि का उल्लंघन होने पर ही व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है।
- 2. शासक व शासित दोनों के लिए समान कानून वाह संभालने वाले होते हैं।
- 3. कानून का शासन व्यक्ति के अधिकारों का संरक्षक होता है।
- 4. कानून का शासन सामाजिक न्याय की स्थापना करता है।
- 5. कानू का शासन राजनीतिक समानता की भी स्थापना करता है तथा कानून का शासन नागरिक अधिकारों व स्वतंत्रता ओं की भी रक्षा करता है।।
- 6. कानून का शासन सरकार की निरंकुशता को रोकता है तथा संविधानिक सरकार की स्थापना करता है

विधि के शासन की सीमाएं:

- 1. आज बदलते विश्व परिवेश व राष्ट्रीय आवश्यकता के अनुरूप कानून के शासन का अर्थ भी बदल गया इसे चुनौती देने वाली बहुत सी व्यवस्थाएं जन्म ले चुकी हैं विधायिका के पास कार्यभार की अधिकता के कारण आज कुछ मामलों में कानून को व्यापक वह कार्यपालिका ही देती है।
- 2. आज अनेक देशों में राजनीतिक प्रतिनिधियों वह कर्मचारियों को विशेषाधिकार प्राप्त है अपने गलत काम के लिए विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्तियों पर मुकदमा विशेष परिस्थितियों में ही चलाया जा सकता है।।
- 3. आज अनेक देशों में सैनिक व्यवस्था को पुणे ता स्वतंत्र दर्जा दिया गया है सेना के अपने न्यायालय वाह बोर्ड होते हैं जो सैनिक द्वारा किए गए अपराधों की जांच करते हैं सजा देते हैं सैनिक न्यायालयों के निर्णय के विरोध किसी तरह की अपील साधारण न्यायालयों में या

सिविल परीक्षण में, परीक्षण दो पक्षों या वृत्तकर्ताओं के बीच है। विवाद आम तौर पर कानूनी विवाद, तलाक, वोट, लापरवाही, या अनुबंध के उल्लंघन से अधिक होता है।

परीक्षण के परिणाम क्या है?

एक सिविल परीक्षण में, गलती पर वृत्तकर्ता को आमतौर पर वादी को एक राशि का भुगतान करके दंडित किया जाता है, जैसा कि न्यायाधीश द्वारा निर्धारित किया गया था।

मामला कौन तय करता है?

एक आपराधिक मुकदमा एक वृत्तकर्ता या पार्टी बनाम सरकार के बीच है। एक आपराधिक मुकदमा तब होता है जब कोई वृत्तकर्ता या पार्टी ने समाज के कानून को तोड़ दिया है, और वे अपराध स्वीकार करते हैं, या इनकार करते हैं या अपने कार्यों को स्वतंत्र करने का प्रयास करते हैं

परीक्षण के परिणाम क्या है?

अपराध की गंभीरता के आधार पर, दोषी पार्टी को ठीक भुगतान, जेल समय की सेवा, परिवीक्षा की सेवा या कुछ राज्यों में निष्पादित किया जा सकता है।

मामला कौन तय करता है?

criminal justice system in India

- इससे तात्पर्य सरकार की उन एजेंसियों से है जो कानून लागू करने अपराधी का आचरण को ठीक करने का आरोप लगाती है।
- आपराधिक न्याय प्रणाली सामाजिक नियंत्रण का एक साधन है:
- 1. समाज कुछ रह वालों को इतना खतरनाक हो विनाशकारी मानता है या तो शक्ति से उनकी घटना को नियंत्रित करना है ।
- 2. न्याय की एजेंसियों का काम है की वे इनव्यवहारो को अपराधियों का पकड़ने व दंडित करने या उनकी भविष्य की अपराधी क्रियाओं को रोकने के लिए काम करती है।

- उद्देश्य:-
- 1. ताकि अपराध की घटनाओं को रोका जा सके
- 2. अपराधियों के पुनर्वास उन को दंडित करने के लिए।
- 3. समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए वह भविष्य में किसी भी अपराधिक कार्यों को अंजाम ना देने के लिए अपराधियों को रोकना

दो मुख्य प्रतिमाएं जो हमारे देश में अपराधी मामलों के प्रशासन से संबंधित है

भारतीय दंड सहिंता

- आईपीसी ब्रिटिश शासन काल में सन 1862 में लागू हुआ यह भारत के अंदर किसी भी नागरिक द्वारा किए गए अपराधों की परिभाषा व दंड का प्रावधान देता है।
- आईपीसी को मौलिक विधि भी कहा जाता है आईपीसी को दो भागों में बांटा गया है :-
- A. Civil law B. Criminal law
- . महत्वपूर्ण धाराएं:-
- क. धारा 302: हत्या के लिए दंड ।
- ख. धारा 304(B) दहेज व मृत्यु के लिए दंड।
- ग. धारा 376: बलात्कार के लिए दंड।

दंड प्रक्रिया संहिता

- सीआरपीसी 1973 में पारित हुआ तथा 1 अप्रैल 1974 में लागू हुआ तथा अपराध से संबंधित जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं उन प्रक्रियाओं का वर्णन यह करता है।
- इसको प्रक्रिया विधि भी कहते हैं

आपराधिक न्याय प्रणाली के मूलतः 3 तत्व है:-

- 1. कानून प्रवर्तन: कानून प्रवर्तन एजेंसियों अपने निर्धारित क्षेत्राधिकार में अपराधों की रिपोर्ट करती है और इस संबंध में जांच करती है।
- 2. अधिनिर्णयन: यह तीन विभागों में विभाजित है:1. न्यायालय,2. अभियोजन पक्ष तथा 3. बचाव पक्ष का वकील वकील
- 3.कारावास: न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए गए अपराधियों की निगरानी करना तथा उन्हें बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना है!